पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

आदेश

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल सहित),
बिहार।

विषय :– अपराध नियंत्रण के संबंध में।

आप सभी अवगत हैं कि अपराध नियंत्रण हमारा प्रथम कर्त्तव्य एवं प्रथम प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण के कारगर उपाय होने से अपराध में तो कमी होती ही है पुलिस की छवि भी सुधरती है और जनता का सहयोग प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण से निम्नांकित निर्देश निर्गत किये जा रहे है। कृपया आज से ही इनका अनुपालन प्रारंभ किया जाय और दिनांक 20.03.18 तक क्रियान्वयन पूरा कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

1. प्रत्येक जिले के दूसरे जिला/राज्य के सीमावर्ती थानों का बल, संचार, वाहन, बुलेटप्रूफ मोर्चा तथा सी०सी०टी०वी० कैमरे के साथ सुदृढ़ीकरण किया जाय। साथ ही दोनों जिलों के सीमावर्ती थानों के बीच संचार समन्वय रखा जाय। ये थाने शराब, प्रतिबंधित वस्तुओं, नाजायज हथियार तथा अपराधियों के विरूद्ध नाकाबंदी एवं निगरानी जाँच संचालित करेंगे। इस कार्य हेतु ऐसे थानों में यथासंभव कम आयु वर्ग के अधिकारी/कर्मियों को पदस्थापित किया जाय। सी०सी० टी०वी० कैमरे स्थापित किये जायें जिससे 24 घंटे वहाँ से आने--जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों के फोटो कैप्चर किये जा सके।

   सुनिश्चित करें कि जाँच के दौरान किसी के साथ अभद्रता नहीं हो किन्तु कार्रवाई दृढ़तापूर्वक की जाय। यह भी सुनिश्चित करें कि इस क्रम में भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं आये।

2. दागी अपराधियों की समीक्षा करें। जो अपराधी सक्रिय हैं उनका डोसियर संधारित किया जाय। थाना में पदस्थापित प्रत्येक अधिकारी को दागियों की संख्या के अनुसार आनुपातिक तौर पर दागियों की जाँच का कार्य दिया जाय। जब तक थाना से अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं हो जाय तब तक वही अधिकारी दागी विशेष की

निगरानी रखने के लिए जिम्मेवार होंगे। डोसियर में अपराधी का मोबाइल नम्बर भी रखा जाय। निर्धारित अवधि के अतिरिक्त भी संबंधित अधिकारी दागी की गतिविधियों के संबंध में जाँच करेंगे और सदैव अपने को उस दागी की गतिविधियों में अवगत रखेंगे। विशेष सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी अपने थाना को तथा दागी के थाने से बाहर निवास करने की स्थिति में पुलिस हस्तक में दिए गए नियमानुसार दूसरे थानों को भी अवगत कराएंगे।

3. थाना स्तर पर छोटी घटनाएँ यथा मारपीट, धमकी आदि का निस्तारण यथाशीघ्र किया जाय ताकि वह वृहद् रूप नहीं ले सके। अगर किसी मामले में यह पाया जाता है कि पीड़ित ने पुलिस को पहले सूचना दी थी किन्तु उचित कार्रवाई नहीं की गयी जिस कारण बाद में बड़ी घटना हुई तो दोषी पदाधिकारी को दंडित किया जाएगा।
4. भू–विवाद के मामले में शीघ्रातिशीघ्र निरोधात्मक कार्रवाई करें। किन्तु भूमि–विवाद और आपराधिक अपचार (Criminal Trespass) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से समझा जाय। आपराधिक अपचार के मामले में भा0द0वि0 एवं द0प्र0स0 के अंतर्गत शीघ्र कार्रवाई की जाय, उसे भूमि–विवाद कहकर नहीं टाला जाय। भूमि विवाद के मामलों में की गयी कार्रवाई को थाना दैनिकी में अवश्य अंकित की जाय।
5. प्रदर्शन धरना तथा नाजायज मजमा आदि के संबंध में शीघ्र कारगर कार्रवाई की जाय ताकि बाद में मामला बढ़ने पर लाठी–गोली चलाने की बड़ी कार्रवाई नहीं करनी पड़े।
6. प्रत्येक थाना में प्रतिदिन कम से कम एक वांछित/फिरार अपराधी गिरफ्तार करने का लक्ष्य दिया जाय। पुलिस अधीक्षक इस निर्देश के अनुपालन को थाना प्रभारी के कार्य मूल्यांकन का आधार बनायें।
7. सहायक पुलिस अधीक्षक (अभियान) के कार्यों का मूल्यांकन प्रति माह किया जाय। मासिक अपराध समीक्षा बैठक में सहायक पुलिस अधीक्षक (अभियान) के कार्यों का विश्लेषण कर अभियुक्ति अंकित की जाय। यदि कार्य असंतोषजनक है तो उन्हें सुधार की चेतावनी दी जाय और सुधार नहीं होने पर मुख्यालय को प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।
8. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ सभी पुलिस अनुमंडलों के मुख्य शीर्ष के अपराध तथा ऐसी घटनायें जिनसे विधि–व्यवस्था और पुलिस की छवि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, की समीक्षा करेंगे तथा वस्तु स्थिति के अनुसार अपराध नियंत्रण हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह कार्य भी दिनांक 20.03.2018 तक प्रारंभिक

रूप से पूरा कर लिया जाए। बाद में इस प्रक्रिया का अनुशरण जारी रखा जाय। अपराध नियंत्रण से संबंधित उपरोक्त निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना नोडल पदाधिकारी होंगे।

5/3/18

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 21 /गो0

पटना, दिनांक–05.03.2018

प्रतिलिपिः– अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना कृपया कालवध तरीके से उपर्युक्त योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु।

2. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) बिहार, पटना,
3. अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) बिहार, पटना,
4. अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना को सूचनार्थ, क्रियान्वयन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
6. पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
7. पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
8. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

5/3/18

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।